रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1990 (फाल्गुन 26, 1911)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1990 (PHALGUNA 26, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	251
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	303
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	213
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	295
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .	259
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1225
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	35
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	*

*कोई प्राप्त नहीं।

1—501 GI/89

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	251
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	303
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	213
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories),	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	295
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	259
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1225
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	35
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	

* Folio not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1990

सं. 17-प्रेज/90.—राष्ट्रपति सहर्ष यह निदेश देते हैं कि राष्ट्रपति का गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा पदक और गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा पदक को शासित करने वाले नियमों में जिन्हें दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में, समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 की अधिसूचना सं. 101-प्रेज/74 के तहत प्रकाशित किया गया था, तत्काल प्रभावी रूप से निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :—

राष्ट्रपति का गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा पदक

नियम (5) के मौजूदा स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए : वीरता के लिए दिए जाने वाले पदक के साथ रु. 3,000/- (केवल तीन हजार रुपये) का एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा । जहां किसी व्यक्ति जिसे वीरता के लिए पहले ही राष्ट्रपति का गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक दिया जा चुका हो, को वीरता के एक और कार्य के लिए वही पदक फिर से दिया जाता है तो वहां उस पदक में एक और छड़ (बार) जोड़ दी जाएगी और रु. 3,000/- (केवल तीन हजार रुपये) का एकमुश्त आर्थिक अनुदान दिया जाएगा । अतिरिक्त पदक प्रदान करने के लिए भी यही नियम लागू होगा । मरणोपरान्त दिये जाने वाले पदक से सम्बन्धित आर्थिक अनुदान उसकी विधवा को देय होगा (प्रथम विवाहिता पत्नी को इस सम्बन्ध में वरीयता होगी) । मरणोपरान्त दिये जाने वाले पुरस्कार की स्थिति में यह आर्थिक अनुदान प्राप्तकर्ता यदि अविवाहित हो तो उसके पिता या माता को और यदि विधुर हो तो उसके 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री, जैसी स्थिति हो, को देय होगा। इन पुरस्कारों पर इस प्रकार हुआ व्यय संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार के मध्य 50 : 50 के अनुपात से समभ्य एवं वहन करने योग्य (पुलेबल एण्ड शेयरबल) होगा ।

गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक

नियम 4 के मौजूदा स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए :—

"किसी एक वर्ष में वीरता के लिए दिये जाने वाले पदकों की संख्या सीमित नहीं होगी । सराहनीय सेवा के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या किसी एक वर्ष में 100 से अधिक नहीं होगी ।"

नियम 5 के मौजूदा स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए :—

"वीरता के लिए दिये जाने वाले पदक के साथ रु. 1,500/- (केवल एक हजार पांच सौ रुपये) का एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा । पदक प्राप्त व्यक्ति को बाद में छड़ (बार) प्रदान किये जाने की स्थिति में उसे रु. 1,500/- (केवल एक हजार पांच सौ रुपये) का एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। मरणोपरान्त दिए जाने वाले पदक से संबंधित आर्थिक अनुदान उसकी विधवा को देय होगा (प्रथम विवाहिता पत्नी को इस संबंध में वरीयता होगी) मरणोपरान्त दिए जाने वाले पुरस्कार की स्थिति में यह आर्थिक अनुदान प्राप्तकर्ता यदि अविवाहित हो, तो उसके पिता या माता को, और यदि विधुर हो तो उसके 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री, जैसी स्थिति हो, को देय होगा। इन पुरस्कारों पर इस प्रकार हुआ व्यय संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार के मध्य 50 :50 के अनुपात के आधार पर समभ्य एवं वहन करने योग्य (पुलेबल एण्ड शेयरबल) होगा।

राजीव महर्षि, राष्ट्रपति का उपसचिव

उद्योग मंत्रालय

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 29 जनवरी 1990

संकल्प

सं. इन्ड गैस/9(2)/89/11—संकल्प सं इन्ड गैस/9(2) 84 दिनांक 17 नवम्बर, 1988 तथा इसके दिनांक 29 मई 1989, के आंशिक संशोधन के क्रम में भारत सरकार ने इन्डस्ट्रियल गैसेज की विकास नामिका के संगठन को निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों के साथ बढ़ाने का निर्णय किया है :—

सदस्य

1. प्रो. पी. सेनगुप्ता
   क्रायोजेनिक एडवान्स स्टडी
   के विभागाध्यक्ष
   जादवपुर विश्वविद्यालय,
   कलकत्ता-32 ।

2. डा. आर. सारंगी,
   आई आई टी के क्रायोजेनिक
   विभाग के अध्यक्ष
   खड़गपुर ।

सदस्य

3. डा. पी. एल. भाटिया,
मैं. उत्तम एअर प्रोडक्टस
नई दिल्ली ।

4. श्री सुरेश गोयल,
मैं. गोयल गैसेस लि.,
नई दिल्ली ।

5. वि. आ. (ल. उद्योग) निर्माण भवन, "
नई दिल्ली के नामित व्यक्ति ।

नामिका का उपर्युक्त के अलावा संकल्प का शेष संगठन दिनांक 17 नवम्बर, 1988 वाला ही रहेगा ।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सम्प्रेषित की जाए। यह भी आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक 30 जनवरी 1990

संकल्प

सं. खाद्य/11(96)/90—भारत सरकार ने फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री के लिए संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्न अनुसार एक विकास नामिका का गठन किया है :—

अध्यक्ष

1. श्री एन. बिश्वास
उप महानिदेशक
तकनीकी विकास महानिदेशालय

सदस्य

2. श्री आर. पी. जैन
दिल्ली फ्लोर मिल्स
रोशनारा रोड, दिल्ली-110006

3. श्री एम. के. पांडुरंगा सैट्टी,
कृष्णा फ्लोर मिल्स
19, प्लेटफार्म रोड,
बंगलौर-560020

4. रोलर्स फ्लोर मिलर्स फेडरेशन आफ इंडिया का
का एक प्रतिनिधि
थापर चैम्बर्स-2, 29-33 दूसरा तल,
6-बी रिंग रोड, नई दिल्ली-110014 ।

5. फूड प्रोसैसिंग इन्डस्ट्रीज के मंत्रालय का एक
प्रतिनिधि

6. इंटरनैशनल स्कूल आफ मिलिंग टैक्नालजी
सी. एफ. टी. आर. ई. का एक प्रतिनिधि
मैसूर-570013

सदस्य-सचिव

7. ए. के. दास
औद्योगिक सलाहकार
तकनीकी विकास निदेशालय
नई दिल्ली ।

2. नामिका के संदर्भ की शर्तें निम्न होंगी :—

(1) मिलिंग उद्योग में देश में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान व विकसित किए गए कार्य सहित उद्योग के वर्तमान स्तर का अध्ययन करना ।

(2) फ्लोर मिलिंग मशीनरी के देशी उत्पादन क्षमता की तुलना में हाल ही में हुई मिलिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति ।

(3) उद्योग के विकास के लिए लघु अवधि और दीर्घ अवधि के आधार पर सिफारिशें करना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को दे दी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित कर दिया जाए ।

दिनांक 6 फरवरी 1990

संकल्प

सं. अल्क 9(1)/90—अल्कली तथा एलाइड केमिकल के विकास पैनल की शर्तों के 5 सितम्बर 1987 तथा उसके बाद 10 अगस्त, 1987 के संकल्प को जिसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, 31-12-89 को समाप्त हो गया है । विकास नामिका का निम्न प्रकार से पुर्नगठन किया गया है । पैनल इस संकल्प की तारीख से लागू होगा व दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा :—

अध्यक्ष

श्री एम. एस. ग्रोवर,
उपमहानिदेशक (रसायन)
त वि म नि, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011 ।

सदस्य

1. श्री एम. एस. मूर्ति,
सलाहकार (रसायन)
रसायन और पैट्रोलियम मंत्रालय,
(रसायन विभाग)
नई दिल्ली-110011 ।

2. श्री अशोक पारेख,
वरिष्ठ उप अध्यक्ष
मैं. ग्रासिम इन्डस्ट्रिज लि.,
(रसायन प्रभाग)
बिरलाग्राम
नागदा-456331 (म. प्र.) ।

3. श्री जे. पी. कपूर,
मैं श्री राम फूड एण्ड फर्टीलाइजर, दिल्ली
के पहले कार्यकारी निदेशक,
एम-213 ग्रेटर कैलाश-II
नई दिल्ली-110048 ।

अध्यक्ष

4. श्री वी. रामादुराए,
मै स्टैन्डर्ड मिल्स कम्पनी
मफत लाल मैन्टर
नरीमन प्वाइन्ट,
बम्बई-400023 ।

उपअध्यक्ष

5. श्री एस. एन. टन्डन,
मै बल्लरपुर इण्डस्ट्रिज लि.,
थापर हाउस 124, जनपथ
नई दिल्ली-110001 ।

6 श्री एस. पी. श्रीवास्तव,
तकनीकी निदेशक
मै. गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.,
पी ओ पैट्रो केमिकल्स,
बड़ौदा-391346 (गुजरात) ।

7. श्री पी. एन. ओझा,
महाप्रबन्धक (तकनीकी)
मै. श्री रायालसीमा अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.,
बसन्त नगर,
कनूल-518004 (आ. प्र) ।

8. श्री सी. एच. कृष्णामूर्तिराव,
प्रबन्धक निदेशक,
मै. टिटानियम इक्यूपमैंट एण्ड एनोड मैन्यूफैक्चरिंग
क. लि., टी ई ए एम हाउस,
जी एस टी सलाई, वन्दलर
मद्रास-600048 (तमिलनाडु) ।

9. श्री सी. पी. सारनाथन्
उपाध्यक्ष (आपरेशन)
मै. केनिकल्स एण्ड प्लास्टिक इंडिया लि.,
जिला-सालेम
मैट्टूर डाम-636402 (त ना) ।

10. श्री एस. एम. राजन्,
प्रबन्ध निदेशक,
मै. इंडियन कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लि.,
13वा तल, चैटर्जी इन्टरनेशनल सैन्टर,
33ए जवाहर लाल नेहरू रोड,
कलकत्ता-700071 ।

11. श्री सी. एस. गर्ग,
महाप्रबंधक,
मै. पंजाब अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि.,
नया नागल,
जिला रोपड़ (पंजाब) ।

12. श्री के. के. नायक,
उप प्रबन्धक निदेशक,
मै. उधे इंडिया लि.,
उधे हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम)
बम्बई-400083 ।

13. श्री पी. टी रैड्डी,
महाप्रबन्धक (प्रोजैक्टस)
मै आई सी बी प्रा. लि.,
168 सी एस टी रोड कालिना,
बम्बई-400098 ।

14. श्री विपिन लाल,
प्रोजेक्ट मैनेजर,
मै. आई सी. आई (इण्डिया) लिमिटड,
हैमिल्टन हाउस 'ए' ब्लाक,
नई दिल्ली-110001 ।

15. श्री जे. सी. राजा,
महाप्रबंधक,
मै. विमको लि. (एनाड्स प्रभाग)
इंडियन मर्केन्टाइल चैम्बर्स,
रामजी भाई कमानी मार्ग,
ब्लाक एस्टेट,
बम्बई-400038 ।

16. अल्कली निर्माता सगठन भारत का प्रतिनिधि
105, बजाज भवन,
10वां तल, नरीमन प्वाइन्ट,
बम्बई-400021 ।

17. श्री बी. एम साहा,
महाप्रबन्धक,
मै. टाटा केमिकल्स लि.,
मिरथापुर-361345 (गुजरात)
पश्चिमी रेलवे ।

18. श्री ओ. पी. पूर्णमल्का
अध्यक्ष,
मै. सौराष्ट्र कमिकल्स
पोरबन्दर-360576 (गुजरात) ।

19. श्री एस. के. घोष,
मै. बिरला कार्बाइड गैसेज,
(कार्बाइड प्रभाग)
बिरला बिल्डिंग,
9/1 आर. एन. मुखर्जी रोड,
कलकत्ता-700001 (प.ब) ।

20. श्री एस. कुमारस्वामी
आवासी महाप्रबन्धक,
मै. यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लि.,
यूक्रो बैंक बिल्डिंग
पार्लियामैंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001 ।

21. श्री एस. श्रीनिवासन्
मै. ट्रावनकोर केमिकल्स मैन्यूफैक्चरिंग क. लि.,
पी. बी. सं. 19,
कालामोसरी-683104 (केरल) ।

22. श्री आर. मुख्यपाध्य,
उपनिदेशक (रसायन)
वि आ ल उ का कार्यालय,
7वां तल, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011 ।

23. श्री वी. सुन्दरमन्,
महाप्रबन्धक,
मै. सदरन पेट्रोकेमिकल्स कारपो लि.,
(भारी रसायन प्रभाग)
एली टावर्स, ग्रीमस रोड,
मद्रास-600006 (त. ना.)।

सदस्य सचिव

24. श्री कुलतार सिंह,
विकास अधिकारी,
त. वि. म. नि. उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011।

पुनर्गठित पैनल के विचारणीय विषय निम्न होंगे :—

1. उद्योग की वर्तमान स्थिति, भविष्य में इसके उत्पादन, मांग का अनुमान के लिए परिदृश्य पर विचार और इसमें अन्तर को पूरा करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

2. (क) औद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन और इसे अध्ययन करके वांछित स्तर पर लाने के लिए उपायों का सुझाव देना और आधुनिकीकरण करने के लिए सुझाव देना।

(ख) विकास के स्तर पर विचार करना और अभिकल्पन के विकास/प्रक्रियाओं के लिए उपायों का सुझाव देना।

3. माल और ऊर्जा उपयोग में सलाह देना इनमें कमी करने के लिए सुझाव और कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

4. उद्योग के विभिन्न सैक्टरों के लिए आर्थिक और वांछित उत्पादन के लिए सलाह देना।

5. निर्यात के लिए ठोस कदमों का सुझाव देना।

6. क्षेत्रीय विकास के पैटर्न पर सुझाव और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की पूर्ति और उपयोग के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सलाह देना।

7. अन्य कोई सुझाव जिसे पैनल, उद्योग के विकास के हित में महत्वपूर्ण समझे।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को संचालित की जाए। यह भी आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की जाए।

दिनांक 14 फरवरी 1990

संकल्प

स. सी.एल.ई/11(7)/89-पैनल/197—भारत सरकार ने दिनांक 31-12-1989 से दो वर्ष की अवधि के लिए लैम्पस, फिटिंग्स और कम्पोनेन्टस उद्योग के लिए एक विकास नामिका का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :—

अध्यक्ष

1. डा. एन. डी. देसाई,
प्रबन्धक निदेशक
मै. अपार लि., बम्बई।

सदस्य

2. औद्योगिक सलाहकार,
सी.एल.ई. निदेशालय,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

3. औद्योगिक विकास विभाग
उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

4. विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के
कार्यालय का एक प्रतिनिधि

5. भारतीय मानक संस्थान ब्यूरो,
नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

6. अध्यक्ष
भारतीय इलैक्ट्रिक लैम्पस एंड कम्पोनेन्टस
निर्माणकर्ता संगठन।

7. डा. आर. के. पचौरी,
निदेशक, टाटा इनर्जी रिसर्च इंस्टिच्यूट
नई दिल्ली।

8. मै. एच.एम.टी. (लैम्पयूनिट)
हैदराबाद का एक प्रतिनिधि

9. श्री सी. एल. आनन्द
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
मै. पंजाब आनंद लैम्पस,
चंडीगढ़।

10. श्री जी. एस. कृष्णामूर्ति
निदेशक
मै. केरल इलैक्ट्रिक लैम्पस लि.,
आलवेयी, केरल।

11. श्री एस. शानमुगम
प्रबन्ध-निदेशक
मै. मेटल लैम्प कैप्स इंडिया लि.
बंगलौर।

12. श्री एस. आर. आनन्द
न्यू फ्रैन्डस कालोनी
नई दिल्ली।

13. निदेशक
मै. सिल्वानिया लक्ष्मन लि.
नई दिल्ली।

14. श्री एच. एम. मामक/निदेशक
मै. फिक्को इलैक्ट्रोनिक्स एंड इलैक्ट्रिकलज लि.
बम्बई।

15. श्री बी. आर. बदामी
तकनीकी निदेशक
मै. मैसूर लैम्पस वर्क्स लि.
बंगलौर।

16. श्री जी. पी. बंसल,
कार्यकारी निदेशक
मै. प्रकाश ट्यूब्स लि.
नई दिल्ली।

17. प्रबन्ध निदेशक
मै. जय इलैक्ट्रिक वायर कारपोरेशन लि
मैसूर ।

18. श्री शेखर बजाज
मार्फत बजाज इलैक्ट्रिकल्स लि.,

सदस्य-सचिव

19. विकास अधिकारी
सी.एल.ई., निदेशालय, स.वि.म.नि.
नई दिल्ली ।

नामिका के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. उद्योग के विकास की रूप रेखा तैयार करना जिसमें विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रिक लैम्पस, फिटिंग्स तथा इस क्षेत्र में समकालीन विकास के अनुसार इन मदों के निर्माण की मशीनरी शामिल हैं ।

2. नई निर्यात मार्किट खोलने तथा घरेलू मांग में सुधार लाने के संदर्भ में उद्योग में प्रतियोगी स्थिति बनाने के लिए संशोधित उत्पादन तथा उत्पादन तकनीक आरम्भ करने के तरीके तथा उसकी आवश्यकता निर्धारित करना ।

3. मुख्य निवेशों की आवश्यकता की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा उनकी उपलब्धता गुणवत्ता तथा लागत के संदर्भ में उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां इस प्रकार के निवेशों का आगामी आयात हो सकता है।

4. लैम्पस, फिटिंग्स और उनके कम्पोनेन्ट के अधिक उत्पादन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के सुझाव देना ।

5. प्रौद्योगिकी तथा लागत कटौती में सुधार लाने के लिए चालू प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास को निर्धारित करना ।

6. अन्य कोई संबंधित प्रस्ताव ।

सांचिवक सहायता तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा दी जाएगी । नामिका का मुख्यालय तकनीकी विकास महानिदेशालय नई दिल्ली के कार्यालय में होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित सदस्यों को भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन
निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 फरवरी 1990

संकल्प

सं. 33012/1/90-अर्थ प्रशासन—भारत सरकार का विचार है कि कृषि, जो हमारे देश की जनसंख्या के दो-तिहाई भाग का मुख्य पेशा है, पर अब तक उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना कि दिया जाना था । इसके फलस्वरूप उत्पादन, आय तथा रोजगार तैयार करने के लिए इसकी व्यापक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया । भारत में उत्पादन की जाने वाली फसल की कई किस्मों, बागवानी, पशु तथा मात्स्यकी उत्पादों के साथ कृषि क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए काफी गुंजाइश है। कृषि को उद्योग की तरह मानने की एक मांग इस दलील पर प्रस्तुत की गई है कि उस नीति से गरीब किसानों और ग्रामीण मजदूरों की विकट समस्याओं का उन्मूलन हो जाएगा तथा अर्थ व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए नए मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे ।

2. इसलिए, सरकार ने कृषि को एक उद्योग घोषित करने से जुड़े मुद्दों की छान-बीन करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने का फैसला किया है ।

3. इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी :—

अध्यक्ष

1. श्री भान् प्रताप सिंह

सदस्य

2. श्री कुम्भ राम आर्य

3. श्री हरदेव सिंह संगा

4. श्री एम. जी. देवसहायम
आई. ए. एस. (सेवानिवृत)

5. श्री वी. सोभानदीश्वर राव
भूतपूर्व संसद सदस्य

6. श्री सूरज भान
भूतपूर्व संसद सदस्य

7. प्रो. वी. एम. राव
सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर

8. आर्थिक और सांख्यकीय सलाहकार
कृषि और सहकारिता विभाग

सदस्य-सचिव

9. संयुक्त सचिव (विस्तार)
कृषि और सहकारिता विभाग

4. यह समिति सरकार के अनुमोदन से दो सदस्यों को शामिल कर सकती है ।

5. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) देश में कृषि विकास को बढ़ावा देने की वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा, विशेषकर निर्यात के लिए फालस् उत्पादन करने की दृष्टि से ।

(2) कृषि को उद्योग घोषित करने की संभाव्यता/उपयुक्तता को या इसके विकल्प के रूप में उपयुक्त सुविधाएं/रियायतें देने के प्रयोजन के लिए कृषि को उद्योग के बराबर मानने के मामले की जांच करना ।

6. यह समिति छह मास की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। लेकिन, यह अपनी अंतरिम रिपोर्ट दो मास में दे सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों, योजना आयोग, मन्त्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, भारत के महा-नियंत्रक और महालेखाकार और कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के सभी सबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के. राजन
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1990

संकल्प

विषय :—उर्दू की प्रोन्नति के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए समिति का गठन ।

सं. एफ-13-2/90-री-।।।(भा.)—भारत सरकार ने उर्दू की प्रोन्नति के लिए तत्कालीन निर्माण तथा आवास मंत्री श्री आई. के. गुजराल की अध्यक्षता में दिनांक 5 मई, 1972 के संकल्प द्वारा एक समिति गठित की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 1975 में प्रस्तुत की । तब से कई वर्षों से इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए जनता निरन्तर मांग करती रही है ।

2. तदनुसार, सरकार विशेषज्ञों की एक समिति गठित करती है जिसका गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष

1. श्री अली सरदार जाफरी,
बम्बई ।

सदस्य

2. श्री राजबहादुर गौड,
उपाध्यक्ष,
अंजुमन-ए-तरक्की उर्दू
हैदराबाद,
आंध्र प्रदेश ।

3. प्रो. शकील-उल-रहमान,
संसद सदस्य,
मजफ्फरपुर विश्वविद्यालय तथा
मिथिला विश्वविद्यालय के भतपूर्व कुलपति,
बिहार ।

4. प्रो. कमर रईस,
अध्यक्ष उर्दू विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

5. डा. माहम्मद हसन,
भाषा स्कूल के सेवानिवृत अध्यक्ष,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ ।

6. कंवर मोहिन्दर सिंह बेदी,
तरक्की ए उर्दू बोर्ड के भतपूर्व उपाध्यक्ष ।

7. प्रो. गोपीचंद नारंग,
प्रोफेसर,
उर्दू विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

8. श्री आनंद सरूप,
भूतपूर्व शिक्षा सचिव,
भारत सरकार ।

9. श्री कश्मीरी लाल जाकिर,
उपान्यासकार-लेखक,
सचिव,
हरियाणा उर्दू अकादमी,
चंडीगढ़ ।

10. सुश्री अमृता प्रीतम,
संसद सदस्य,
नई दिल्ली ।

11. डा. मुमताज अहमद,
सदस्य,
अल-अमीन शिक्षा सोसायटी,
बंगलौर ।

12. श्री राम लाल,
सदस्य,
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी,
लखनऊ ।

13. प्रो. नामवर सिंह,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली ।

14. श्री खालिक अंजुम,
नई दिल्ली ।

सदस्य-सचिव

15. श्री के के. खल्लर,
परामर्शदाता तथा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग में भतपूर्व निदेशक (भाषा) ।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) गुजराल समिति की सिफारिशों की जांच करना तथा उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना ।

(2) उपरोक्त (1) को ध्यान में रखते हुए, गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देना ।

4. समिति यदि जरूरी समझे तो अपने विचार-विमर्श को सकर बनाने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के अधिकारियों को शामिल कर सकती है ।

5. समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस. गोपालन
अवर सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1990

संकल्प

सं. का.आ.ई-11011/7/84-हिन्दी—भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के संकल्प सं. ई-11011/7/84-हिन्दी दिनांक 30 मई, 1986 के अंतर्गत कोयला विभाग से संबंधित विषयों पर लेखकों द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना अधिसूचित की गई थी । इस योजना का नाम "कोयला हिन्दी ग्रंथ पुरस्कार योजना" है । इस योजना के अधीन प्रथम और द्वितीय पुरस्कार की राशि क्रमशः रु. 10,000/- और रु. 5,000/- रखी गई थी । अब यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अधीन पुरस्कारों की संख्या बढ़ा दी जाए और लेखकों को क्रमशः 10,000/- रु. का प्रथम, 8,000/- रु. का द्वितीय तथा 5,000/- रु. की राशि का तृतीय पुरस्कार दिया जाए ।

इस योजना के संबंध में बाकी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों की सरकारों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा सभी समाचार एजेंसियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्रीमती शालिनी शर्मा
निदेशक

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1990

संकल्प

सं. 19/4/81—आई. टी.—इस मंत्रालय के संकल्प सं. डी. डब्ल्यू.-।।।-26(4)/58, दिनांक 19 दिसम्बर, 1958 जो संकल्प सं. 22/7/66-डी. डब्ल्यू. आई., दिनांक 10 दिसम्बर, 1968, संकल्प सं. 21/9/71-डी. डब्ल्यू. (एम) दिनांक 12 जनवरी, 1972, संकल्प सं. 21-9-71-डी. डब्ल्यू. (एन.) दिनांक 30 अप्रैल, 1973, संकल्प सं. 21-9-71, डी. डब्ल्यू. (एन.) दिनांक 2 जनवरी, 1974 और संकल्प सं. 21/9/71-डी. डब्ल्यू. (एम.) आई. टी. खण्ड-।। दिनांक 19 जनवरी, 1978 और शुद्धि पत्र सं. 21/9/71-डी. डब्ल्यू. (एन.)/आई. टी. दिनांक 27 मार्च, 1978 और संकल्प सं. 19/4/81-आई. टी. दिनांक 17 जून 1987 द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया था, को आंशिक संशोधन करते हुए "राजस्थान नहर बोर्ड" जिसे अब दिनांक 7-1-1985 के संकल्प संख्या 19/4/81-आई. टी. के जरिये "इंदिरा गांधी नहर बोर्ड" का नाम दिया गया है, को पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है । इसमें अब से निम्नलिखित शामिल होंगे :—

इंदिरा गांधी नहर बोर्ड

1. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड ।
2. वित्त सलाहकार, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
3. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, केन्द्रीय कृषि और सहकारिता मंत्रालय (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
4. आयुक्त (सिंध) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
5. मुख्य अभियन्ता (मोनिटरिंग-एन.) केन्द्रीय जल आयोग, (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
6. मुख्य अभियंता, कमान क्षेत्र विकास, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय, (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
7. सचिव, राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
8. सचिव, राजस्थान सरकार, कमान क्षेत्र विकास विभाग, (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
9. सचिव, राजस्थान सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी) ।
10. क्षेत्र विकास आयुक्त, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ।
11. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ।
12. मुख्य अभियन्ता, कमान क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ।
13. मुख्य अभियंता (।।)/अपर मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना ।
14. शहरीकरण आयुक्त, राजस्थान सरकार ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प संबंधित राज्य सरकारों और वित्त, गृह तथा कृषि मंत्रालयों और योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और आम जनता की सूचना के लिए संबंधित राज्य सरकार को राज्य के राजपत्र में इसे प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए ।

ए. शेखर,
उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th February 1990

No. 17-Pres/90.—The President is pleased to direct that, with immediate effect, the following amendments shall be made in the rules governing the awards of President's Home Guards and Civil Defence Medal and Home Guards and Civil Defence Medal, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated 19th October, 1974 *vide* Notification No. 101-Pres/74, dated the 7th October, 1974, as amended from time to time :—

President's Home Guards & Civil Defence Medal

For the existing Rule (5), *substitute* the following :—

"When awarded for gallantry the medal will carry a lumpsum monetary grant of Rs. 3,000/- (Rupees Three Thousand only). Where a person who has already been awarded the President's Home Guards and Civil Defence Medal for gallantry is subsequently awarded the same medal for a further act of gallantry a Bar shall be added to the Medal and a monetary grant of Rs. 3,000/- (Rupees Three Thousand only) in lumpsum shall be paid. This process shall hold good for additional awards also. In the case of a posthumous award of the Medal or Bar, the monetary grant shall be paid to the widow (the first married wife having the preference). When the award is made posthumously to a bachelor the monetary grant shall be paid to his father or mother and in case the posthumous awardee is a widower, to his son below 18 years or unmarried daughter, as the case may be. The expenditure so incurred on these awards will be poolable and shareable between the States and the Government of India on a 50 : 50 basis."

Home Guards & Civil Defence Medal

For the existing Rule 4, *substitute* the following :—

"There will be no limit on the number of medals to be awarded for gallantry in any one year. The number of medals awarded for meritorious service in any one year shall not exceed 100."

For the existing Rule 5, *substitute* the following :—

"When awarded for gallantry, the medal will carry a monetary grant in lumpsum of Rs. 1,500/- (Rupees one Thousand Five Hundred only). In the event of a subsequent award of the bar to the same person a monetary grant of Rs. 1,500/- (Rupees One Thousand Five Hundred only) in lumpsum will be given. In the case of a posthumous award of the Medal or a Bar, the monetary grant would be paid to the widow (the first married wife having preference). When the award is made posthumously to a bachelor the monetary grant shall be paid to his father or mother and in case the posthumous awardee is a widower, to his son below 18 years or unmarried daughter, as the case may be. The expenditure so incurred on these awards will be poolable and shareable between the Government of India and each State on a 50 : 50 basis."

RAJIV MEHRISHI, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi-110 011, the 29th January 1990

RESOLUTION

No. Ind. Gas/9(2)/89/11.—In continuation of Resolution No. IND.GAS/9(2)/84 dated 17th November, 1988 and its partial amendment dated 29th May, 1989, the Government of India have decided to enlarge the composition of Development Panel for Industrial Gases with the following additional members :—

Members

1. Prof. P. Sengupta,
Head of Deptt. of Cryogenic Advance Study,
Jadavpur University,
Calcutta-32.

2. Dr. R. Sarangi,
Head of Cryogenic Deptt. of IIT,
Kharagpur.

3. Dr. P. L. Bhatia,
M/s. Uttam Air Products,
New Delhi.

4. Shri Suresh Goyal,
M/s. Goyal Gases Ltd.,
New Delhi.

5. A Nominee of the DC (SSI),
Nirman Bhawan,
New Delhi.

Except for the panel indicated above the rest of the composition of the resolution dated the 17th November, 1988, remains the same.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the *Gazette of India* for general information.

The 30th January 1990

RESOLUTION

No. Food/11(96)/90.—Government of India have decided to constitute the Development Panel for Flour Milling Industry with the following composition and for the period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Shri N. Biswas,
Deputy Director General,
D.G.T.D., New Delhi.

Members

2. Shri R. P. Jain,
Delhi Flour Mills,
Roshanara Road, Delhi-110 006.

3. Shri M. K. Panduranga Setty,
Krishna Flour Mill,
19, Platform Road, Bangalore-560 020.

4. A representative from Roller Flour Miller's Federation of India,
Thapar Chambers-II,
29-33, Second Floor,
6-B, Ring Road, New Delhi-110 014.

5. A representative from the Ministry of Food Processing Industries.

6. A representative of International School of Milling Technology at CFTRI, Mysore-570 013.

Member-Secretary

7. Shri A. K. Das,
Industrial Adviser,
D.G.T.D.

2. The terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To study the present status of the industry including technology and R&D work taken up in the country in the Milling Industry.

(ii) Recent advances in the milling technology vis-a-vis indigenous capability of manufacturing flour milling machinery.

(iii) To make recommendation for the development of the industry on short term as well as on long term basis.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 7th February 1990

RESOLUTION

No. Alk.9(1)/90.—The term of the Development Panel for Alkali & Allied Chemicals notified in the Gazette of India, September 5, 1987 with subsequent Resolution dated August 10, 1987 expired on 31-12-1989. The Development Panel has since been further Reconstituted as follows. The Panel will be valid for two years with effect from the date of this Resolution.

Chairman

Shri M. S. Grover,
Dy Director General (Chemicals),
D.G.T.D., Udyog Bhawan,
New Delhi-110 011

Members

1. Shri M. S. Murthy,
Adviser (Chemicals),
Ministry of C. & P.,
(Department of Chemicals),
New Delhi-110 011.

2. Shri Ashok Parekh,
Senior Vice President,
M/s. GRASIM Industries Limited,
(Chemical Division),
Birlagram,
NAGDA-456 331 (M.P.).

3. Shri J. P. Kapur,
(Formerly Executive Director,
M/s. Shriram Foods & Fertilisers, Delhi),
M-213, Greater Kailash-II,
New Delhi-110 048.

4. Shri V. Ramadurai,
President,
M/s. Standard Mills Company,
Mafat Lal Centre,
Nariman Point,
Bombay-400 023.

5. Shri S. N. Tandon,
Vice President,
M/s. Ballarpur Industries Limited,
Thapar House, 124 Janpath,
New Delhi-110 001.

6. Shri S. P Srivastava,
Technical Director,
M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Limited,
P.O. Petro-Chemicals,
Baroda-391 346 (Gujarat).

7. Shri P. N. Ojha,
General Manager (Technical),
M/s. Sree Rayalaseema Alkalies & Chemicals Ltd.,
Vasanth Nagar,
Kurnool-518 004 (A.P.).

8. Shri C. H. Krishnamurthi Rao,
Managing Director,
M/s. Titanium Equipment & Anode
Manufacturing Co. Ltd.,
TEAM House, G.S.T. Salai, Vandalor,
Madras-600 048 (T.N.).

9. Shri C. P. Sarnathan,
Vice President (Operations),
M/s. Chemicals & Plastics India Limited,
District Salem,
Mettur Dam-636 402 (T.N.).

10. Shri S. S. Rajan,
Managing Director,
M/s. Indian Carbide & Chemicals Limited,
13th Floor, Chatterji International Centre,
33-A Jawahar Lal Nehru Road,
Calcutta-700 071.

11. Shri C. S. Garg,
General Manager,
M/s. Punjab Alkalies & Chemicals Limited,
Naya Nangal,
District Ropar (Punjab).

12. Shri K. K. Nayak,
Deputy Managing Director,
M/s. Udhe India Limited,
Udhe House, Lal Bahadur Shastri Marg,
Vikroli (West),
Bombay-400 083.

13. Shri P. T. Reddy,
General Manager (Projects),
M/s. IC.B. Pvt. Ltd.,
168 C.S.T. Road, Kalina,
Bombay-400 098.

14. Shri Bipin Lal,
Project Manager,
M/s. I.C.I. (India) Limited,
Hamilton House, 'A' Block,
New Delhi-110 001.

15. Shri J. C. Raja,
General Manager,
M/s. WIMCO Limited (Anodes Division),
Indian Mercantile Chambers,
Ramji Bhai Kamani Marg,
Ballard Estate,
Bombay-400 038.

16. Representative of Alkali Manufacturers Association of India,
105, Bajaj Bhawan,
10th Floor, Nariman Point,
Bombay-400 021.

17. Shri B. M. Saha,
General Manager,
M/s. Tata Chemicals Limited,
Mirthapur-361 345 (Gujarat),
Western Railway.

18. Shri O. P. Puranmalka,
President,
M/s. Saurashtra Chemicals,
Porbander-360 576, (Gujarat).

19. Shri S. K. Ghosh,
M/s Birla Carbide Gases,
(Carbide Division),
Birla Building,
9/1 R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700 001 (W.B.).

20. Shri S. Kumaraswamy,
Resident General Manager,
M/s. Union Carbide (India) Limited,
UCO Bank Building,
Parliament Street,
New Delhi-110 001.

21. Shri S. Srinivasan,
M/s. Travancore Chemicals Manufacturing Company Limited,
P.B. No. 19,
Kalamossery-683 104 (Kerala).

22. Shri R. Mukhapadhyay,
Deputy Director (Chemicals),
Office of the D.C.S.S.I.,
7th Floor, Nirman Bhawan,
New Delhi-110 011.

23. Shri V. Sundararaman,
General Manager,
M/s. Southern Petrochemicals Corpn. Ltd.,
(Heavy Chem. Divn.),
Ali Towers, Greams Road,
Madras-600 006 (T.N.).

Member-Secretary

24. Shri Kultar Singh,
Development Officer,
D.G.T.D., Udyog Bhawan,
New Delhi-110 011.

The terms of reference of the reconstituted Panel would be as under :—

(i) To review the present status of the industry, perspective for its future growth, estimate the demand and recommend steps to cover the gaps;

(ii) (a) To evaluate the status of technology and suggest measures for upgrading the same to bring it upto the desired level, and to suggest measures for modernisation;

(b) To consider the level of development and suggest measures for development of designs/ processes, as applicable;

(iii) To advise on norms of material and energy consumption steps for reduction in the same and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity;

(iv) To advise on the economic and desirable scale of production for different sectors of the industry;

(v) To advise on steps for export generation;

(vi) To advise on pattern of regional development and growth of the industry, taking into account the sources of supply of raw materials and areas of consumption;

(vii) Any other aspect(s) which the Panel deems important in the interest of the growth and development of the industry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 14th February 1990

RESOLUTION

No. CLE/11(7)/89-Panel/196.—Government of India have decided to re-constitute the Development Panel for Lamps, Fittings and Components Industries with the following composition for a period of two years from 31-12-1989 :—

Chairman

1. Dr. N. D. Desai, M.D.,
M/s. Apar Ltd., Bombay.

Members

2. Industrial Adviser, CLE Dte.,
DGTD, New Delhi.

3. Representative from the Department of I.D.,
Ministry of Industry.

4. Representative from the Office of DC (SSI),
New Delhi.

5. Representative from the Bureau of Indian Standards,
New Delhi.

6. President,
Electric Lamps & Components Manufacturers Association of India.

7. Dr. R. K. Pachauri, Director,
Tata Energy Research Institute,
New Delhi.

8. Representative from M/s. HMT,
(Lamp Unit), Hyderabad.

9. Shri C. L. Anand, CMD,
M/s. Punjab Anand Lamps,
Chandigarh.

10. Shri G. S. Krishnamurthy, Director,
M/s. Kerala Electric Lamps Ltd.,
Alwaye, Kerala.

11. Shri S. Shanmugham, M.D.,
M/s. Metal Lamp Caps India Ltd.,
Bangalore.

12. Shri S. R. Anand,
New Friends Colony,
New Delhi.

13. Director,
M/s. Sylvania Laxman Ltd.,
New Delhi.

14. Shri H. S. Mamak, Director,
M/s. Peico Electronics & Electricals Ltd.,
Bombay.

15. Shri B. R. Badami,
Technical Director,
M/s Mysore Lamps Works Ltd.,
Bangalore.

16. Shri G. P. Bansal,
Executive Director,
M/s. Prakash Tubes Ltd.,
New Delhi.

17. Managing Director,
M/s Jay Electric Wire Corpn. Ltd.,
Mysore.

18. Shri Shekhar Bajaj,
C/o Bajaj Electricals Ltd.

Member-Secretary

19. Development Officer,
CLE Directorate, DGTD, New Delhi.

The terms of reference of the Panel would be as under :—

(1) Formulation of the growth profile of the industry covering various types of Electric lamps and Fittings and their components and machinery for the manufacture of these items according to the contemporary developments in the field.

(2) To assess the need for and the method of introducing improved products and production technology to maintain the industry in a competitive position with reference to improvement in domestic demand and opening up of a new export market.

(3) To estimate major inputs required and to identify the areas where such inputs required further import with reference to their availability, quality and price.

(4) Constraint and suggestions for their removal for higher production of lamps, fittings and their components.

(5) Assessment of current technology and technology development to improve technologies and cost deductions.

(6) Any other relevant matter.

Secretarial assistance will be provided by DGTD. The Headquarters of the Panel would be in the Office of DGTD, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution may be indicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 6th February 1990

RESOLUTION

No. 33012/1/90-EA.—The Government of India are of the view that agriculture, which is the main occupation of two-thirds of the population of our country, has hitherto, not been given the attention it deserves. This has resulted in under-utilisation of its enormous potential for generating production, incomes and jobs. With the large varieties of crop, horticultural, animal and fishery products that can be produced in India, there is considerable scope for boosting exports from the agricultural sector. A demand has been made for treating agriculture as an industry on the plea that this approach will eradicate the deep-rooted problems of the poor farmers and rural labour and open up new vistas for all round development of this important sector of the economy.

2. The Government have, therefore, decided to constitute an Advisory Committee to go into the issues relating to declaring agriculture as an industry.

3. The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Shri Bhanu Pratap Singh.

Members

2. Shri Kumbha Ram Arya.
3. Shri Hardev Singh Singa
4. Shri M. G. Devasahayam, IAS (Retd.)
5. Shri V. Sobhanadeeswara Rao, Ex. M.P.
6. Shri Suraj Bhan, Ex. M.P.
7. Prof. V. M. Rao, Instt. for Social and Economic Change, Bangalore.
8. Economic & Statistical Adviser Deptt. of Agri & Coopn

Member-Secretary

9. Joint Secretary (Extension) Deptt. of Agri & Coopn

4. The Committee may co-opt two members with the approval of Government

5. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) to review the present policies and programmes for the promotion of agricultural development in the country specially with a view to generating export surpluses; and

(ii) to examine the feasibility/desirability of declaring agriculture as an industry; or in the alternative, treating agriculture on par with industry for the purpose of granting suitable facilities/concessions.

6. The Committee will submit its report within a period of six months. It may, however, submit interim report in two months' time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, President Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Prime Minister's Office, Comptroller and Auditor General of India and all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture & Cooperation).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. RAJAN, Jt. Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 15th February 1990

RESOLUTION

Subject : Constitution of a Committee to examine implementation of the Recommendations of Gujral Committee for Promotion of Urdu.

No. F-13-2/90-D.III(L).—The Government of India, by a Resolution dated 5th of May 1972, appointed a Committee for Promotion of Urdu under the Chairmanship of Shri I. K. Gujral, the then Minister of State for Works and Housing. The Committee submitted its report in May, 1975. Since then, over the years, there has been persistent public demand for implementation of the recommendations of the Committee.

2. Government are pleased accordingly, to constitute a Committee of Experts with the following composition :—

Chairman

1. Shri Ali Sardar Jafri Bombay.

Members

2. Shri Raj Bahadur Goud Vice-President, Anjuman Tarraqi-e-Urdu, Hyderabad, Andhra Pradesh.
3. Prof. Shakil-ul-Rahman Member of Parliament formerly Vice-Chancellor of Muzaffarpur University as well as of Mithila University, Bihar.
4. Prof. Qamar Rais Head of Department of Urdu Delhi University
5. Dr. Mohd. Hassan Retired Chairman of the School of Language, Jawaharlal Nehru University—President of All India Urdu Teachers' Association
6. Kunwar Mohinder Singh Bedi Formerly, Vice-Chairman of Tarraqi-e-Urdu Board
7. Prof. Gopi Chand Narang Professor of Urdu, Delhi University.
8. Shri Anand Sarup formerly Education Secretary Government of India.
9. Shri Kashmiri Lal Zakir Novelist-Writer,-Secretary, Haryana Urdu Academy, Chandigarh
10. Ms. Amrita Pritam, Member of Parliament, New Delhi.
11. Dr. Mumtaz Ahmed President, All Ameen Education Society Bangalore.
12. Shri Ram Lal Member, U.P. Urdu Academy Lucknow.
13. Professor Namwar Singh, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
14. Shri Khalique Anjum New Delhi.

Member-Secretary

15. Shri K. K. Khullar Consultant and former Director (Languages), Deptt of Education, Ministry of Human Resource Development.

3. The terms of reference for the Committee are :—

(i) To examine the recommendations of the Gujral Committee and to assess the present status of their implementation; and

(ii) Keeping in view (i) above, to advise regarding implementation of the Gujral Committee Recommendations.

4. The Committee may involve, as it may deem necessary, the officers of the concerned Ministries/Departments of the Government of India and State Governments/UT Administrations for the purpose of facilitating its own deliberations.

5. The Committee shall submit its report within a period of three month from the date of its first meeting.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to the Chairman and other members of the Committee

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

S. GOPALAN, Addl. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 22nd January 1990

RESOLUTION

No. E-11011/7/84-Hindi.—A Prize scheme to award the authors for writing the original books in Hindi on subjects falling within the purview of function of the Deptt. of Coal was notified vide Govt. of India, Ministry of Energy, Deptt. of Coal Resolution No. E-11011/7/84-Hindi dated 30th May, 1986. The name of the scheme is "Koyala Hindi Granth Puraskar Yojana'. Under the scheme Ist and IInd prizes were to be awarded to the authors of Rs. 10,000/- and Rs 5,000/- respectively. Now it has been decided that the prizes under the scheme be increased and the authors may be awarded the Ist prize, IInd prize and IIIrd prize of Rs. 10,000/- Rs. 8,000/- and Rs. 5,000/- respectively.

The other terms and conditions of the scheme will remain the same as before.

ORDER

ORDERED that the copies of this Resolution be sent to all State Govts./Union Territory Govts. All the Ministries/ Deptts. of the Govt. of India, all the Universities of India and News Agencies.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SMT. SHALINI SHARMA, Director

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 26th February 1990

RESOLUTION

No. 19/4/81-I.T.—The partial modification of this Ministry's resolution No. D.W. III-26(4)/58 dated the 19th December 1958 as amended vide Resolution No. 22/7/66-D.W. I dated the 10th December 1968, Resolution No. 21/9/71-DW (N) dated the 12th January, 1972, Resolution No. 21/9/71-DW (N) dated the 30th April, 1973, Resolution No. 21/9/71-DW (N) dated the 2nd January, 1974 and Resolution No. 21/9/71-DW (N) IT-Vol. II dated 19th January 1978 and Corrigendum No. 21/9/71-DW (N)/IT dated 27th March 1978, Resolution No. 19/4/81-I.T. dated the 17th June, 1987 and Resolution No. 19/4/81-I.T., dated the 12th September, 1989, it has been decided to reconstitute the 'Rajasthan Canal Board' since renamed as 'Indira Gandhi Nahar Board' vide Resolution No. 19/4/81-I.T. dated the 7th January, 1985 which will henceforth consist of :—

INDIRA GANDHI NAHAR BOARD

1. Chairman, Indira Gandhi Nahar Board.
2. Financial Adviser, Union Ministry of Water Resources (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
3. Joint Secretary, Department of Agriculture, Union Ministry of Agriculture and Co-operation (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
4. Commissioner (Indus), Union Ministry of Water Resources, (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
5. Chief Engineer (Monitoring-N), Central Water Commission (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
6. Chief Engineer, CAD, Union Ministry of Water Resources (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
7. Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
8. Secretary to the Government of Rajasthan, CAD Deptt. (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
9. Secretary to the Government of Rajasthan, Public Health Engineering Deptt. (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
10. Area Development Commissioner, Indira Gandhi Nahar Project.
11. Chief Engineer, Indira Gandhi Nahar Project.
12. Chief Engineer, Command Area Development, Indira Gandhi Nahar Project.
13. Chief Engineer (II)/Additional Chief, Engineer, Indira Gandhi Nahar Project.
14. Colonisation Commissioner, Government of Rajasthan.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated for information to the State Government concerned and the Ministries of Finance, Home, Agriculture and Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government concerned be requested to publish it in the State Gazette for general information.

A. SEKHAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1990